भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 1104**#**
गुरूवार, 15 दिसम्बर, **202**2/24 अग्रहायण, **194**4 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राष्ट्रीय पर्यटन नीति

1104**#.** श्री बृजलालः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने एक नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है**;**

(ख) प्रस्तावित नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति में सरकार द्वारा किन-किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है**;**

(ग) क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें और अधिक पेशेवर बनाने पर भी विचार कर रही है**;** और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख)**:** पर्यटन मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया है। नीति के प्रमुख कार्यनीतिक उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i. यात्रा, आवास और खर्च में वृद्धि करके और भारत को एक वर्षपर्यंत पर्यटन स्थल बनाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना**,**
ii. पर्यटन क्षेत्र में नौकरियों और उद्यमशीलता के अवसरों का सृजन करना और कुशल कार्य बल की आपूर्ति सुनिश्चित करना**,**
iii. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करना**,**
iv. देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और उनको समृद्ध बनाना**,**
v. देश में पर्यटन के सतत**,** जिम्मेदार और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय का यह उद्देश्य रहा है कि वह आवश्यक अवसंरचना सहायता के साथ प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करे, जो पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन सृजित करने में सक्षम हो। आतिथ्य कौशल में आतिथ्य शिक्षा/संचालन प्रशिक्षण पर्यटन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित संस्थानों के माध्यम से प्रदान किया जाता है:-

i. राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी संस्थान (एनसीएचएमसीटी)
ii. भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)
iii. राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस)
iv. भारतीय स्कीइंग एवं पर्वतारोहण संस्थान (आईआईएसएम)
v. भारतीय पाक कला संस्थान (आईसीआई)

उपर्युक्त के अलावा, पर्यटन मंत्रालय आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/ एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता की अपनी योजना के अंतर्गत आईएचएम, एफसीआई, आईआईटीटीएम, एनसीएचएमसीटी, आईसीआई आदि की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की अपनी योजना (सीबीएसपी) के अंतर्गत प्रत्येक स्तर पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करता है जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा के प्रत्येक स्तर पर जनशक्ति को प्रशिक्षित करना और उनका उन्नयन करना है। सीबीएसपी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं:-

i. हुनर से रोजगार तक
ii. कौशल परीक्षण एवं प्रमाणन
iii. उद्यमिता कार्यक्रम
iv. पर्यटन साहसिक पाठ्यक्रम
v. भाषाई पर्यटन सुविधाप्रदाता
vi. गंतव्य आधारित कौशल विकास
vii. अन्य कार्यक्रम

*****